FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई — मुकाम अराईं (अजमेर)

1 छीतर पुत्र सुगना जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी छोटा लाम्बा तहसील अंराई जिला अजमेर राज0 वगै.

प्रार्थी

बनाम

2 माधु पुत्र रामकरण निवासी ग्राम बैरवा उम्र बालिग निवासी छोटा लाम्बा तहसील अंराई जिला अजमेर राज0 .वगै

अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा– 212 राज0 काश्तकारी अधि0 — नंबर 15/2021

ऑनलाइन नंबर 2021/ 15

वकील प्रार्थीगण इन्द्रेश जी — वकील अप्रार्थीगण ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
12.03.2021	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री इन्द्रेश जी ने अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश किया। वकील प्रार्थीगण को एकपक्षीय सुना गया वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया कि अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की ग्राम लाम्बा स्थित भूमि खसरा संख्या 554 रकबा 15 बीस्वा, 572 रकबा 2 बीघा , 573 रकबा 2 बीघा 3 बीस्वा कुल 4 बीघा 18 बीस्वा हिस्सा प्रार्थीगण 1/2 में अवैध निर्माण करने हेतु प्रयासरत है। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति प्रार्थी को होना कारित पाया जाता है अतः प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित आराजी खसरा संख्या 554 रकबा 15 बीस्वा, 572 रकबा 2 बीघा,573 रकबा 2 बीघा 3 बीस्वा कुल 4 बीघा 18 बीस्वा हिस्सा 1/2 भूमि पर अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 07 को मौके की यथास्थिती बनाये रखने तथा कच्चा पक्का अवैध निर्माण नहीं करने बाबत तथा प्रार्थीगणों के किसी भी प्रकार के उपयोग उपभोग तथा कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी होकर तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 23.04.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	तारीख अहकाम हुक्म की ... में जारी
31/10/15	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप. । वकील वादी स्थगन प्रार्थना पत्र पेश हो... पत्रावली दिनांक 21.1.16 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी अरांई	
21/1/16	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप. । वास्ते तलबी रिपोर्ट हेतु... पत्रावली दिनांक 19/2/16 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी अरांई	
19/2/2016	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। तलबी हेतु आदेश ... की तामील पेश नहीं की। अतः पत्रावली अदम तामील खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद शुमार ... दाखिल दफ्तर हो।	